रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 835] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 5, 2007/आषाढ़ 14, 1929
No. 835] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 5, 2007/ASADHA 14, 1929

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2007

का.आ. 1105(अ).—केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 के अनुसरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (एस ई आई ए ए), आंध्र प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण आंध्र प्रदेश कहा गया है) का गठन करती है जिसमें आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित तीन सदस्य अर्थात् अध्यक्ष, सदस्य और सदस्य-सचिव समाविष्ट होंगे, जो निम्नलिखित हैं :—

1. श्री वी. भक्तवत्सलम, चंदगीराम ब्लॉक, 334, एशियन गेम्स विलेज, नई दिल्ली-110049	—अध्यक्ष ऊर्जा एवं पर्यावरण प्रबंध परियोजना
2. श्री एल. कृष्ण भूपाल राव, भारतीय वन सेवा (सेवानिवृत्त) मकान नं. 556, प्लाट नं. 111, फेस-3, कमलापुरी कॉलोनी, हैदराबाद-500073	सदस्य वानिकी एवं वन्यजीव
3. सदस्य सचिव, आंध्र प्रदेश, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	सदस्य-सचिव

2. अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन होने की तारीख से तीन वर्ष होगी।

3. प्राधिकरण, आंध्र प्रदेश ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगा जो अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 में प्रगणित की जाए।

4. प्राधिकरण आंध्र प्रदेश इस आदेश में आंध्र प्रदेश सरकार के लिए गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस ई ए सी) की सिफारिशों के आधार पर अपने निर्णय देगी।

5. आंध्र प्रदेश राज्य सरकार प्राधिकरण के सचिवालय के रूप में कार्य करेगा और यह सभी वित्तीय और संभारिक सहायता जिसके अंतर्गत स्थान सुविधा परिवहन भी है, और उसके सभी कानूनी कृत्यों की बावत ऐसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी। प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य को बैठक फीस, यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा नियमानुसार संदत्त होगा।

6. उक्त प्राधिकरण की सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से परामर्श करके राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, आंध्र प्रदेश का गठन करती है (जिसे इसमें इसके पश्चात् एस ई ए सी कहा गया है) जिसमें निम्नलिखित सदस्य समाविष्ट होंगे :—

1. प्रो. अंजी रेड्डी मरेड्डी, 103 सैकिरन अपार्टमेण्ट्स, श्री नगर कॉलोनी, हैदराबाद	अध्यक्ष पर्यावरण गुणता ई आई ए प्रक्रिया
2. प्रो. एम साम्बा शिवाराव, फ्लैट नं. 302, महाराजा टावर्स, श्री निवास नगर, अनंतपुर-515003	सदस्य ई आई ए प्रक्रिया, पर्यावरण गुणवत्ता

3. डॉ. वाई वेंकटरामि रेड्डी (एस वी यू), फ्लैट नं. 402, श्री पाडा केसवा टावर्स, 11-35 एस.वी. नगर, तिरुपति-517502	सदस्य, पर्यावरण गुणता
4. प्रो. के बायपू रेड्डी, (एन.यू.) बी-49, एस.वी.एन. कॉलोनी, गुण्टूर-522006	सदस्य, जीवन विज्ञान
5. श्री संकरी रामकृष्णराव, सिविल अभियांत्रिकी विभाग, आंध्र प्रदेश, विशाखापटनम-530017	सदस्य, पर्यावरण गुणता
6. श्री चोप्पला रत्नम (एस.यू.), 109/8, एम.वी.पी. कॉलोनी, विशाखापट्नम-530017	सदस्य, पर्यावरण अर्थशास्त्र
7. डॉ. रुद्रमादेवी कनापुरम (ओ.यू.), पत्नी श्री के नारायण रेड्डी, मकान नं. 2-2-18/41/ए/5, बी-40, दुर्गाभाई देशमुख, कॉलोनी, हैदराबाद-13	सदस्य, जीवन विज्ञान
8. श्री मंडा वेंकटरेड्डी, 503, वेंकटेश्वर आर्चेड, प्लांट नं. 178, इण्डियन ओवरसीज बैंक के पास, मोती नगर, हैदराबाद-18	सदस्य, फर्मा सेक्टर में परियोजना प्रबंधन
9. श्री पी. वेंकट रामाराव, फ्लैट नं. 204, श्री साई होम अपार्टमेंट्स गली नं. 7, विद्या नगर, हैदराबाद-500044	सिंचाई क्षेत्र में परियोजना प्रबंधन
10. सदस्य सचिव, आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद	सदस्य

7. अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन होने की तारीख से तीन वर्ष होगी और एस ई ए सी, आंध्र प्रदेश का प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् पुर्नगठन किया जाएगा।

8. एस ई ए सी, आंध्र प्रदेश ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगी जो अधिसूचना संख्यांक का. आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 में प्रगणित की जाएं।

9. एस ई ए सी, आंध्र प्रदेश सामूहिक दायित्व के सिद्धांत पर काम करेगी, अध्यक्ष, प्रत्येक मामले में एकमत होने का प्रयास करेगा और यदि एकमत नहीं हो सकता तो बहुमत का विचार अभिभावी होगा।

10. आंध्र प्रदेश, राज्य सरकार, एस ई ए सी, आंध्र प्रदेश के सचिवालय के रूप में कार्य करेगा और यह सभी वित्तीय और संभारिक सहायता, जिसके अंतर्गत स्थान सुविधा, परिवहन भी है और उसके सभी कानूनी कृत्यों की बाबत ऐसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवायेगी। एस ई ए सी के अध्यक्ष और सदस्यों को बैठक फीस, यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के नियमों के अनुसार संदत्त किया जाएगा।

[सं. जे-11013/36/2007-आई ए-II(I)]

ज. मो. माऊसकर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi the 4th July, 2007

S.O. 1105(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the Government of India notification number S.O. 1533(E) dated the 14th September, 2006 the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Andhra Pradesh (hereinafter referred to as the Authority Andhra Pradesh) comprising of three members namely, Chairman, Member and Member Secretary nominated by the State Government of Andhra Pradesh as under :—

1. Shri V. Bhaktavatsalam, Chandgi Ram Block, 334, Asian Games Village, New Delhi-110049	Chairman, Project Management in Energy & Environment.
2. Shri L. Krishna Bhoopal Rao, IFS (Retd.) House No. 556, Plot No. 111, Phase-3, Kamalapuri Colony, Srinagar Colony, Hyderabad-500073.	Member, Forestry and Wildlife
3. Member Secretary, A.P. Pollution Control Board, Hyderabad, A.P.	Member Secretary

2. The Chairman and Members shall have the term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority, Andhra Pradesh shall exercise such powers and follow such procedures as enumerated in the notification number S.O. 1533(E) dated the 14th September, 2006.

4. The Authority, Andhra Pradesh shall base its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee (SEAC) constituted for the State of Andhra Pradesh in this order.

5. The State Government of Andhra Pradesh shall notify the agency to act as secretariat for the Authority

and shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all its statutory functions. Sitting fee, Travelling Allowance/Dearness Allowance to the Chairman and Member of the Authority shall be paid by the State Government of Andhra Pradesh as per State rules.

6. To assist the said Authority, the Central Government, in consultation with the State Government of Andhra Pradesh, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee, Andhra Pradesh (hereinafter referred to as SEAC which shall comprise the following members :

1. Prof. Anji Reddy Mareddy, 103, Saikiran Apartments, Srinagar Colony, Hyderabad	Chairman, Environment Quality, EIA Process
2. Prof. M. Samba Siva Rao, Flat No. 302, Maharaja Towers, Srinivasanagar, Anantapur-515003	Member, EIA Process, Environment Quality
3. Dr. Y. Venkatarami Reddy (SVU), Flat No. 402, Sripada Kesava Towers, 11-35, S. V. Nagar Tirupati–517502	Member, Environment Quality
4. Prof. K. Bayapu Reddy, (N.U.) B-49, S.V.N. Colony, Guntur-522006.	Member, Life Sciences
5. Shri Sunkari Ramakrishna Rao, Deptt. of Civil Engineering, Andhra Pradesh, Visakhapatnam-530017.	Member, Environment Quality
6. Shri Choppala Ratnam (S.U.) 109/8, M.V.P. Colony, Visakhapatnam-530017,	Member, Environment Economics
7. Dr. Rudramadevi Kanapuram (O.U.), w/o Shri K. Narayana Reddy, H. No. 2-2-18/41/A/5, B-40, Durgabhai Deshmukh Colony, Hyderabad-13.	Member, Life Sciences
8. Shri Manda Venkat Reddy, 503, Venkateswara Archade, Plot No. 178, Near Indian Overseas Bank, Moti Nagar, Hyderabad-18.	Member Project Management in Pharma Sector
9. Shri P. Venkat Rama Rao, Flat No. 204, Sri Sai Home Apartments, Street No. 7, Vidyanagar, Hyderabad-500044.	Member Project Management in Irrigation Sector
10. Member Secretary, A.P. Pollution Control Board, Government of Andhra Pradesh, Hyderabad.	Member

7. The Chairman and Members shall have the terms of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette. The SEAC, Andhra Pradesh shall be reconstituted after every three years.

8. The SEAC, Andhra Pradesh shall exercise such powers and follow such procedures as enumerated in the notification number S. O. 1533(E), dated the 14th September, 2006.

9. The SEAC, Andhra Pradesh shall function on the principle of collective responsibility. The Chairperson shall endeavour to reach a consensus in each case, and it consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

10. The State Government of Andhra Pradesh shall notify the agency to act as secretariat for the SEAC, Andhra Pradesh and shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect to all is statutory functions. Sitting fee, Travelling Allowance/Dearness Allowance, to the Chairman and Members of the SEAC shall be paid by the State Government of Andhra Pradesh as per State rules.

[No. J-11013/36/2007-IA-II(I)]

J. M. MAUSKAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.